2025/362

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

विनोद कुमार बनाम हरदयाल आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 250 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.05.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 05.06.2025 को पेश हो।	
03.6.2025	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी के लिया गया। बकुलाए प्रतिवादीगण उपस्थित वादी व प्रतिवादी का०।ता।। ने हाजिर अदालत आकर दावीनामा पेश किया जिसे वाद तरीक दाखिल दर्ज रजिस्टर किया। नोटिस जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली बाबते पेश आईन्दा तारीख 5.6.2025 को पेश हो।	
05.6.2025	बकुलाए प्रतिवादीगण उपस्थित। वास्ते सुनवाई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अर्जी दावी प्रति वादी के दावीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित डिक्री अलग से लिखाया जाकर [illegible] किया जावे। पत्रावली [illegible] जाकर वाद तरमीम तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.06.22 14:10:00 IST
Reason: SelfAttested